

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 317/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गुलामअली के कायम मुकाम वगैरा बनाम अब्दुलहक वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री बद्रीनारायण विश्नोई, RAS

प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक - 24/02/2025

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक व कब्जा काशत का खेत तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खाता संख्या नया 52 के खसरा संख्या क्रमशः 122, 125, 404/232, 405/52, 406/123, 53 रकबा क्रमशः 9.1863 हैक्टेयर, 1.4083 हैक्टेयर, 0.6475 हैक्टेयर, 0.1781 हैक्टेयर, 0.1295 हैक्टेयर, 4.7834 हैक्टेयर जुमले रकबा 16.3331 हैक्टेयर 0.0324 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवा कर नेखम बन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पैमाइश एवं नेखम बन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा-जमाबंदी संवत् 2075-77, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खाता संख्या नया 52 के खसरा संख्या क्रमशः 122, 125, 404/232, 405/52, 406/123, 53 रकबा क्रमशः 9.1863 हैक्टेयर, 1.4083 हैक्टेयर, 0.6475 हैक्टेयर, 0.1781 हैक्टेयर, 0.1295 हैक्टेयर, 4.7834 हैक्टेयर जुमले रकबा 16.3331 हैक्टेयर 0.0324 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रूबरु किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रूबरु विवादित भूमि के मौके व कब्जे काशत में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौके पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/02/25 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण विश्नोई, RAS)

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(SDO) सेड़वा

